

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 2/2023 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2023/6

अनवान

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

- प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बावलवाडा, पंचायत समिति खेरवाडा जिला उदयपुर।
2. श्री राजपाल पिता जगदीश ग्राम बावलवाडा तहसील खेरवाडा।

- विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री रमेश चन्द्र नन्दवाना अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996
विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बावलवाडा के पट्टा संख्या 08 आदेश दिनांक 20.12.07

' निर्णय '

दिनांक- 10.10.2024

प्रकरण में विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत बावलवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत विक्रय विलेख संख्या 8 दिनांक 20.12.2007 भूमि क्षेत्रफल 5097.4 वर्गफीट का नियमों के विपरित जारी कर पूर्ण अवहेलना की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जांच विकास अधिकारी खेरवाडा के पत्र क्रमांक 4362 दिनांक 13.12.2022 से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त मुख्या कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर के पत्र क्रमांक 1217 दिनांक 26.12.2022 द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी कोई भी गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोपड़ी/कच्चे-गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण करने का


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
उदयपुर (राज.)

प्रावधान है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने नियमों के विपरित अप्रार्थी संख्या 2 को पडत भूमि में विक्रय विलेख जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को पडत भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार नहीं है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना ठोस प्रस्ताव प्राप्त किये विक्रय विलेख जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) में अप्रार्थी संख्या 2 को अनुचित लाभ दिये जाने की नियत से नियमों के विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है। चूंकि नियम 157(2) द्वारा जारी विक्रय विलेख 23-क के अनुसार अवैधानिक प्रक्रियानुसार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) हेतु नियम 146 के अन्तर्गत भूमि का मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी का गठन नहीं कर बापी पट्टा जारी किया गया। साथ ही तत्कालीन सरपंच श्रीमती लीला देवी द्वारा अपने जायज पुत्र के नाम पट्टा जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अलावा अन्य भूमि पर विक्रय विलेख जारी करने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अपने पद की अधिकारिता से परे जाकर पट्टा जारी किये गये हैं जो निरस्त योग्य है।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) में पात्रता नहीं रखते हुए भी विक्रय विलेख जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 को पडत भूमि में निर्मित आवास से अधिक क्षेत्रफल का विक्रय विलेख जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना कर विक्रय विलेख जारी किया गया, जो खारिज योग्य है। उक्त पंचायत निगरानी श्रीमान के क्षेत्राधिकार की है तथा निगरानी अन्दर मयाद है चूंकि प्रदत्त नियमों के अन्तर्गत कोई अवधि निर्धारित नहीं है। अतः निगरानी श्रीमान को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी विक्रय विलेख संख्या 8 दिनांक 20.12.2007 तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या जो पारित नहीं कर दिनांक 20.12.2007 के बापी पट्टे की वैधता, शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त करवाना फरमावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया। विपक्षी संख्या 2 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खेरवाडा की ओर से प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के किसी भी आदेश या निर्देश के विरुद्ध अपील पंचायत समिति में प्रस्तुत की जा सकेगी एवं उक्त अपील पंचायत समिति की


अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

स्टेण्डिंग कमेटी द्वारा सुनी जावेगी। स्टेण्डिंग कमेटी के गठन के प्राधान्य धारा 56 में उल्लेखित किये गये है। स्टेण्डिंग कमेटी के सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते है। प्रस्तुत प्रकरण में अपील पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं करके कोई कारण उल्लेखित नहीं किया गया है और न ही यह उल्लेखित किया गया है कि विकास अधिकारी जो कि पंचायत समिति का अधिकारी है और उसे पंचायत समिति के निर्देशानुसार ही कार्य करना होता है, ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र किस आदेश से प्रस्तुत किया है। पंचायत समिति जो अपने आपमें एक अपीलीय संस्था है तथा अपील में जिसे व्यापक शक्तियां प्राप्त है। उस अपीलीय संस्था का अधिकारी स्वयं निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, यह विधि की मंशा के अनुरूप नहीं है तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति खेरवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य हैं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खेरवाडा ने अपने पदीय दायित्वों से परे जाकर बिना चुनी हुई पंचायत समिति को विश्वास में लेकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जिसे प्रस्तुत करने का विकास अधिकारी को किसी प्रकार का हक या अधिकार नहीं होने से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही अपास्त किया जाने योग्य हैं

विकास अधिकारी खेरवाडा ग्राम पंचायत बावलवाडा के आदेश दिनांक 20.12.2007 से किसी भी सूरत में प्राभावित व्यक्ति की तारीफ में नहीं आता है, क्योंकि उनका विपक्षी संख्या 2 को जारी बापी पट्टे की जमीन में किसी तरह का कोई हित व अधिकार नहीं होने से उन्हें यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी रूप से कोई हक व अधिकार नहीं है। ऐसी हालत में इस आधार पर भी यह निगरानी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। विकास अधिकारी निरीक्षणकर्ता अधिकारी हैं समय समय पर ग्राम पंचायत के रिकार्ड का निरीक्षण करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। वर्ष 2007 में जारी पट्टे के खिलाफ निगरानी प्रार्थना पत्र वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया गया है यानि पूरे 15 वर्षों की अवधि गुजर जाने के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, यद्यपि निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समयावधि कानून में उल्लेखित नहीं है, मगर जहां कोई समयावधि कानून में उल्लेखित नहीं की गई हो, तो उस स्थिति में समयावधि 3 वर्ष विधिनुसार मानी जावेगी। प्रार्थना पत्र 15 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो मयाद बाहर होने से इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य हैं प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है और न ही निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ मयाद अधिनियम धारा 5 के अन्तर्गत अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने से भी निरस्त किए जाने योग्य हैं। प्रार्थी विकास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट से पूर्व उत्तरदाता को कोई सूचना नहीं दी एवं पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं देकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सरपंच को

विधिनुसार यदि कोई लाभ प्राप्त हो सकता है तो क्या वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता प्रस्तुत रिपोर्ट से तो ऐसा ही आभास होता है। रिपोर्ट में यह कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है कि भूखण्ड पर विपक्षी उत्तरदाता का कब्जा नहीं है और भूखण्ड के अधिकांश भाग पर भूखण्ड के स्वामी द्वारा भवन निर्माण कराया हुआ नहीं है। हकीकत यह है कि भूखण्ड पर 50 वर्ष से भी अधिक पुराना कब्जा है तथा पात्रता रखने के कारण पंचायत के कोरम की अध्यक्षता सरपंच द्वारा नहीं कर उपसरपंच द्वारा की गई और सर्वसम्मति से विधिनुसार पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। माननीय विकास अधिकारी ने इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया कि शिकायतकर्ता ने राजनैतिक उद्देश्यों से यह शिकायत पेश की थी, क्योंकि वह चुनाव हार गया था।

उल्लेखित विक्रय-विलेख संख्या 8 दिनांक 20.12.2007 विक्रय विलेख नहीं होकर बापी पट्टा है तथा इस कलम में उल्लेखित बापी पट्टे का क्षेत्रफल 5094.4 वर्गफीट होना स्वीकार है। विपक्षी संख्या 2 को बापी पट्टा नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया हो, बल्कि सच्चाई यह है कि विपक्षी संख्या 2 के पात्रता रखने के आधार पर तथा विधि में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को बापी पट्टा जारी करने का अधिकार है। विकास अधिकारी खेरवाडा ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर को कोई जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हो, विपक्षी उत्तरदाता को इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि उसके पट्टेशुदा भूखण्ड की किसी ने कोई जांच की हो। जांच प्रतिवेदन संलग्न होने का कथन किया गया है, मगर विपक्षी उत्तरदाता को उक्त जांच प्रतिवेदन की कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार यदि कोई जांच की भी गई है तो वह विपक्षी के पीठ पीछे की गई है तथा विधि में सम्बन्धित पक्षकार के पीठ पीछे की गई है तथा विधि में सम्बन्धित पक्षकार के पीठ पीछे की गई जांच का कोई कानूनी महत्व नहीं है। विकास अधिकारी, खेरवाडा जिनके द्वारा जांच किया जाना दर्शाया गया है, ने यदि विधिवत् जांच की होती तो विपक्षी उत्तरदाता को उस जांच में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिये था, जो नहीं दिया गया है। पंचायत समिति खेरवाडा अपने आपमें एक विधि द्वारा स्थापित संस्था है जिसे ग्राम पंचायत के आदेशों व निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार विधि द्वारा दिया गया है। पंचायत समिति के अपील सुनने के अधिकार को दरकिनार कर यदि उस पंचायत समिति के अधिकारी को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है तो वह अधिकार पंचायती राज अधिनियम एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत निमित्त नियमों के अन्तर्गत विधि विपरीत निर्देश है तथा निर्देशित करने का अधिकार निर्वाचित संस्था के अधिकारों में गैर कानूनी दखलन्दाजी है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157(2) गलत उद्धृत किया गया है तथा जो कथन इस कलम में किया गया है वह पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के अनुरूप नहीं है। नियम 157 निम्नानुसार है:-



Regularisation of Old houses Where the person are in possession of the old house in aabadi land and desire to get a Patta issued, Patta may be issued be the Panchayat after depositing charges as under :-

- (a) For old houses Constructed more than 50 years ago- 100/-RS.
- (b) For old houses Constructed during last 50 years from the date of Commencements of these rules - 200/-RS

Provided that no fees shall be charged under clause (a) and only 10% Fees shall be charged under clause (b) from the families included in the list of below poverty line.

इस प्रकार इस नियम में कहीं पर यह उल्लेखित नहीं कि झुग्गी झोपडी, कच्चे गृह निर्माण के तौर पर आबादी भूमि में 300 वर्गगज का कब्जे का ही नियमन किया जा सकता हो। इस कलम में उल्लेखित यह कथन बलपूर्वक अस्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 उत्तरदाता को आबादी भूमि में उसका 50 वर्ष के अन्दर का कब्जा होने से विधिवत् पट्टा जारी किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा रूल 157 में परिवर्तन किया गया है। उस परिवर्तन के अनुसार 300 वर्गगज तक के भूखण्डों का पट्टा मुफ्त दिये जाने का प्रावधान है, जबकि उससे अधिक भूमि के पट्टे के लिए डी.एल.सी. दर का 25 प्रतिशत भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा किया गया परिवर्तन आगे जारी होने वाले पट्टों पर लागू होगा तथा यह प्रावधान पूर्ववर्ती पट्टों पर लागू नहीं होगा। विपक्षी उत्तरदाताका पट्टा 2007 का है उस समय 300 वर्गगज के बड़े भूखण्ड पर 25 प्रतिशत डी.एल.सी. दर से चार्ज वसूलने का प्रावधान नहीं था। प्रार्थी जो कि विकास अधिकारी है और जिन पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व है, उनके द्वारा इस प्रकार का कथन करना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। पंचायत द्वारा विक्रय विलेख जारी नहीं करके पट्टा जारी किया गया है, द्वितीयतः भूमि आबादी भूमि नहीं थी, इस तरीके का कोई कथन इस कलम में नहीं किया गया है। भूमि पडत भूमियां ही मुख्यतः आवासीय उपयोग में लाई जाती है तथा गांवों एवं शहरों की अधिकांश आबादियां पडत भूमि पर ही बसी हुई है। वैसे भी जिस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी उत्तरदाता को जारी किया गया है वह भूमि पडत नहीं होकर उस विपक्षी उत्तरदाता द्वारा भवन का निर्माण कराया हुआ है और वह भी काफी वर्ष पूर्व करा लिया था। प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया था। दो पडौसियों की तस्दीक भी प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थी के वार्ड के वार्ड पंच श्री कमला शंकर की तस्दीक


अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

भी प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 20.09.2007 के पंचायत कार्यवाही रजिस्टर में प्रप्ट रूप से मौका तस्दीक देखने का विवरण लिखा हुआ है पंचायती कमेटी द्वारा रिकार्ड दिनांक 20.07.2008 को प्रस्तुत की गई। सारी प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी किया उस समय ग्राम पंचायत बावलवाडा की सरपंच उसकी माता थी, मगर सरपंच का पुत्र होने के आधार पर ही किसी का जायज हक खत्म नहीं हो जाता है। प्रार्थी ने जानबूझकर इस कलम में इस तरीके का कथन किया है, यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन कर लेते तो इस तरह का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि अब यह सुस्थापित है कि यदि कानून में समयावधि उल्लेखित नहीं है तो समयावधि तीन वर्ष होगी। ऐसी स्थिति में निगरानी मयाद बाहर होने के आधार पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी बापी पट्टे को माननीय सब रजिस्ट्रार, खेरवाडा के यहां विधिवत् शुल्क अदा कर पंजीयन करा लिया गया है तथा विक्रय विलेख के पंजीयन को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, यह अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर की दाद इस प्रार्थना पत्र में चाही गई है, इस आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। माननीय विकास अधिकारी द्वारा बिना रिकार्ड की जांच किये विपक्षी उत्तरदाता के प्रति दुर्भावना से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी उत्तरदाता के पिता द्वारा पूर्व, वर्ष 1990 में पुराने मकान को गिरा कर नक्शे के मुताबिक स्वीकृति पत्रावली संख्या 6/1989 दिनांक 12.01.1990 को जारी की गई है तथा विपक्षी उत्तरदाता को बापी पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का पूरा रिकार्ड भी ग्राम पंचायत बावलवाडा के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसको बिना देखे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सव्य निरस्त फरमावें तथा प्रार्थी को विपक्षी से विशेष हर्जाना दिलाये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रकरण स्वीकर किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा लिखित बहस मय नजीर -

- RLW 2013(1) page 165
- una lal vs state of rajasthan HC jodhpur 2023/33690

प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रकरण खारिज किया जाने का निवेदन किया।

182

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड का अध्ययन किया। रेकार्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति खेरवाडा द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 20.12.2007 को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत बावलवाडा का रेकार्ड तलब किया जिसमें मूल पट्टा ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं होना बताया एवं शेष पत्रावली प्रेषित की गई। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत बावलवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत विक्रय विलेख संख्या 8 दिनांक 20.12.2007 भूमि क्षेत्रफल 5097.4 वर्गफीट का नियमों के विपरित जारी कर पूर्ण अवहेलना की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जांच विकास अधिकारी खेरवाडा के पत्र क्रमांक 4362 दिनांक 13.12.2022 से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। गलत पट्टा जारी किया जाने से पट्टा को निरस्त किया जाने की प्रार्थना की है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति खेरवाडा द्वारा पत्र क्रमांक प.स.खे/पंचा/जांच/2022/4394 दिनांक 19.12.2022 से उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा को अवैध पट्टों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसी के साथ जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि सहायक विकास अधिकारी पं.स. खेरवाडा, ग्राम विकास अधिकारी वागपुर, ग्राम विकास अधिकारी नवाघर की संयुक्त टीम द्वारा तैयार की गई जिसमें सारांश निम्न अंकित किया है :-

“1. ग्राम पंचायत बावलवाडा द्वारा तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव, श्री रामलाल महावर एवं तत्कालीन सरपंच श्रीमती लीला देवी द्वारा जारी बापी पट्टा संख्या 8 दिनांक 20.12.2007 नाप 5094.4 वर्गफीट का जारी किया गया। ग्राम पंचायत का रिकोर्ड की जांच करने पर इस संबंध में प्रार्थना पत्र व अडौस पडौस के बयान के अलावा किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं है। नियमानुसार राजस्थान पंचायतीराज नियम 1956 के नियम 145 से 157 तक प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मिशाल कायम कर नियमानुसार पंचायत की कोरम में निर्णय लेकर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। जबकि जारी पट्टे की भूमि किस्म तत्कालीन पटवारी से नहीं प्राप्त कर पट्टा जारी कर नियमों की अवहेलना की है। वर्तमान में श्री राजपाल एवं उसके पिता के आवासीय मकान का निर्माण 2777.125 वर्गफीट ही है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा 5094.4 वर्गफीट जारी किया गया है। जो नियम विरुद्ध है।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
उदयपुर (राज.)

2. तत्कालीन सरपंच श्रीमती लीलादेवी द्वारा अपने पुत्र श्री राजपाल को बापी पट्टा जारी कर अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया है।

3. अतः तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव श्री रामलाल महावर एवं तत्कालीन सरपंच श्रीमती लीला देवी द्वारा नियमों की अवहेलना कर बापी पट्टा निर्मित मकान के अतिरिक्त उत्तर दिशा में चिकित्सा विभाग के भवन व दक्षिण दिशा में निर्मित नाली को पट्टे में जोड़कर भवन के बाहर पडत भूमि को सम्मिलित कर 2317.275 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया है। अतः संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित रहेगा।

4. इस प्रकार पट्टा संख्या 8 दिनांक 20.12.2007 नियम विरुद्ध है जिसकी वैधता व शुद्धता का परीक्षण करवाने के लिये माननीय सक्षम न्यायालय में निगरानी किया जाना उचित रहेगा। एवं निर्णय बाद नियमानुसार 1996 के नियम 145 से 157 की पालना कर पुराने आवासीय मकान का पट्टा जारी करने एवं पडत भूमि की बाजार दर से पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है।”

जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई है उक्त जांच रिपोर्ट में पट्टे को विधि विरुद्ध बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से 2007 में पट्टा हेतु आवेदन किया जिस पर पत्रावली कायम कर कोरम में लिया जाकर पुरी प्रक्रिया का पालन कर पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। रहा प्रश्न पट्टे की अधिकारिता का इस सम्बन्ध में कमेटी द्वारा नियम से अधिक भूमि का पट्टा दिया जाने से नियमों की अवहेलना होना बताया है जो कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है। निगरानीकर्ता एवं कमेटी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट में यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है कि विपक्षी संख्या 2 पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति नहीं था। उपलब्ध तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह तो स्पष्ट है कि मौके पर श्री राजपाल एवं उसके पिता के आवासीय मकान का निर्माण 2777.125 वर्गफीट का ही है एवं मकान के साथ ही पडत पडी अतिरिक्त 2317.275 वर्गफीट भूमि को मिलाकर कुल 5094.4 वर्गफीट का पट्टा जारी करवा लिया गया है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत नहीं आता है। आवेदक द्वारा नियम 157 में पुराना मकान के पट्टे हेतु आवेदन किया है तो वह केवल पुराने बने मकान का ही पट्टा बनवाने का अधिकारी था। निर्मित मकान से अधिक का पट्टा प्राप्त कर नियमों की स्पष्ट रूप से अवलेहना हुई है, उक्त पट्टा विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

-: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 का स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बावलवाडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 20.12.2007 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत बावलवाडा पुनः प्रकरण में नियमानुसार 1996 के नियम 145 से 157 की पालना में विपक्षी संख्या 2 के पुराने आवासीय मकान का पट्टा जारी करने एवं पडत भूमि की बाजार दर से पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरान्त नियमानुसार नवीन पट्टा जारी करने हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय की एक-एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. खेरवाडा एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बावलवाडा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)